

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83) के अन्तर्गत  
दायर अपील सख्यां 01/2015-16

मैसर्स गुरदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी, कोटा

बनाम

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर

निर्णय

दिनांक : 30.07.2015

मैसर्स गुरदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी, कोटा ने पत्र दिनांक 02.06.2015 से, राज्य सरकार की सक्षमता के अधीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर द्वारा निविदा सूचना सख्यां 28/2014-15 द्वारा आमन्त्रित निविदाएँ

- 1- Tender for construction of 26 No. check dams including survey, investigation, planning, design, drawing with all activities required for construction of check dam at locations in Panchayat Samiti Kotra District Udaipur of Rajasthan in Sabarmati River Basin.
- 2- Tender for construction of 4 No. micro Irrigation projects Tilarwin, Goma ki Phali, Khampa, Nichalisubri including survey, investigation, planning, design, drawing with all activities required for acquisition of land for MIP of Panchayat Samiti Kotra District Udaipur of Rajasthan in Sabarmati River Basin.

की तकनीकी बिड में मूल्यांकन समिति द्वारा फर्म को योग्य घोषित करने के उपरान्त भी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा उन्हें दोनों कार्य आवंटन योग्य नहीं मानने के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी बाबत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष अपील दायर की एवं नियमानुसार राशि रु. 2500/- फीस (डी.डी. 563983/01.06.2015) जमा करवाई गई।

**1. अपीलार्थी द्वारा अपील दायर कर निम्नानुसार प्रार्थना की है :-**

“चूँकि प्रार्थी को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर की निविदा सूचना सख्यां 28 के कम सख्यां 5 व 9 के प्री-क्वालीफिकेशन प्रकरण में योग्य घोषित किया जा चुका है एवं उपरोक्त दोनों कार्यों में प्रार्थी संवेदक फर्म की दरें न्यूनतम हैं। अतः प्रार्थी को उसकी संलग्न बिड कैपेसिटी के आधार पर योग्य घोषित किये जाने की कृपा करे।

अपील के निर्णय हेतु निर्धारित समय सीमा 1 माह में दिनांक 26.06.2015 को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया। संवेदक द्वारा अपील के पक्ष में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर की प्रमुखता में गठित सक्षम तकनीकी मूल्यांकन कमेटी की बैठक दिनांक 04.05.2015 बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कमेटी द्वारा संवेदक को आईटम नं० 5 व 9 अर्थात् उक्त दोनों कार्यों के लिये पृथक-पृथक रूप से तकनीकी मापदण्डों में योग्य घोषित किया गया है तथा वे दोनों निविदाओं में न्यूनतम निविदादाता है। अतः उनके द्वारा उक्त दोनों कार्य आवंटन किये जाने की योग्यता रखने के कारण, उन्हें दोनों कार्य आवंटित किये जावे।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अवगत कराया है कि उक्त दोनों कार्यों की निविदाओं की राशि 5.00 करोड से अधिक होने के कारण एम्पावर्ड कमेटी से दरों के अनुमोदन उपरान्त प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति सक्षमता में है। अतः मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा परीक्षण उपरान्त निम्न टिप्पणी के साथ प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया :-

M/s Gurdeep Singh Chandi & Co., Kota is lowest bidder in following 2 tender cases and his quoted rates are as under:-

S.No	G-Schedule amount	Quoted rate	Bid amount
Udaipur Zone			
1	19.29 Cr.	4.91% above	20.24 Cr.
2	18.27 Cr.	4.91% above	19.16 Cr.
	Total		39.40 Cr.

As per document submitted by the lowest bidder M/s Gurdeep Singh Chandi & Co., Kota in technical bid his balance bid capacity is Rs. 33.50 Cr. Whereas cost of 2 works in which bidder is lowest is Rs. 39.40 Cr. and rate quoted by the lowest bidder in both tenders is 4.91% above on G-schedule based on BSR 2014.

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मैसर्स गुरदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी, कोटा द्वारा उक्त दोनो कार्यों की बिड में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अनुसार इनकी Balance bid Capacity Rs. 33.50 Cr बनती है। जबकि उक्त दोनो कार्यों के आवंटन हेतु कुल राशि रु. 39.40 करोड़ की बिड कैपेसिटी की आवश्यकता है। मैसर्स गुरदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी, कोटा को उक्त दोनो कार्य आवंटित किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त दोनो कार्यों में से एक ही कार्य संवेदक को आवंटित किया जा सकता है।

मुख्य अभियन्ता, जयपुर द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 38 (1) एवं नियम 2013 के बिन्दु संख्या 83 (2) के अनुसार दायर की जाने वाली अपील उपापन संस्था के किसी निर्णय या कार्यवाही के विरुद्ध दायर की जानी चाहिये। अपीलार्थी के विरुद्ध उपापन संस्था द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अतः दायर की गई अपील अपरिपक्व है।

2. अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेख/साक्ष्यों के परिक्षण उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मैसर्स गुरदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी, कोटा द्वारा दायर अपील अपरिपक्व है। क्योंकि इनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्रकरण में दिये जाने वाले उचित निर्णय से पूर्व इनके प्रकरण में सम्मिलित कर विचार किया जावे। अतः अपील निरस्त की जाती है।

(अजिताम शर्मा) 30.7.15

प्रथम अपील अधिकारी  
शासन सचिव,  
जल संसाधन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F.2(123)ASI/13/ 2957

दिनांक : 30.07.2015

निर्णय की प्रति निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर।
3. मैसर्स गुरदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी, प्लॉट नं० 12, गुमानपुरा पुलिस स्टेशन के पास, झालावाड रोड, कोटा-324007

✓ अधीक्षण अभियन्ता PMU जल संसाधन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय तत्काल राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावे।

(अजिताम शर्मा) 30.7.15

प्रथम अपील अधिकारी,  
शासन सचिव,  
जल संसाधन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

Received today ie.  
on 19.8.15

Pd upwad

AM(17)

19.8.15

राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावे।